

—:: सूचना ::—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 के अनुसार वर्ष 2023-24 में शासन/विभागाध्यक्ष स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण हेतु विभाग में कार्यरत कार्मिकों की, सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र एवं दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु वृत्त स्तर से प्राप्त सेवा सम्बन्धी विवरण के आधार पर तैयार की गई पात्रता सूची व उपलब्ध/सम्भावित रिक्तियों का विवरण विभागीय वेबसाईट www.minorirrigation.uk.gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु जारी की जा रही है। मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अन्तर्गत कार्मिकों की पदोन्नति के उपरान्त पदस्थापना दृष्टिगत स्थानान्तरण के फलस्वरूप मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों की पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

हठ/-

(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ आफिसर,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
लघु सिंचाई भवन, लेन नं० 3, इन्द्रप्रस्थ कालोनी, नत्थनपुर, देहरादून।**

संख्या 78 /ल०सि०/स्था०-23(6-स्थाना०)/2023-24 दिनांक 15 अप्रैल 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. श्री मातवर सिंह फर्स्वाण, नोडल अधिकारी/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को संलग्नक की प्रति सहित इस निर्देश के साथ कि वे उक्त सूचनायें विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। (संलग्न : उक्तानुसार)
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ आफिसर,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।